



डी. गुहन,
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

D. Guhan,
Executive Director (Finance)

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित कम्पनी

कोर-7ए, हडको भवन, भारत पर्यावास केन्द्र,

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003.

दूरभाष : 011-24653711, 011-24648160

विस्तार : 1184 फैक्स : 011-24627386 ईमेल : guhan@hudco.org

Visit us at : www.hudco.org

सीआईएन : U74899DL1970GOI005276

Housing and Urban Development Corporation Limited

(A Government of India Enterprise)

AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY

Core-7A, HUDCO Bhawan, India Habitat Centre,

Lodhi Road, New Delhi - 110003.

Tel.: 011-24653711, 011-24648160

Extn.: 1184 Fax : 011-24627386 Email : guhan@hudco.org

Visit us at : www.hudco.org

CIN : U74899DL1970GOI005276

एफआर/हडको/बैंक मॉडेट/ 2016

दिनांक : 20/12/2016

बीएसई लिमिटेड

पी. जे. टॉवर, दलाल स्ट्रीट,

मुंबई-400001

विषय: पुराने खाता नंबरों में किए गए लेनदेन पर जुर्माने के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी परिपत्र संख्या 200 ।

महोदय,

जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 5 दिसंबर, 2016 के परिपत्र संख्या 200 के तहत निर्णय लिया है कि सभी खाता आधारित लेनदेन में पुरानी खाता संख्या के साथ प्रस्तुत किए गए प्रति लेनदेन 25 रुपये का जुर्माना 01 जनवरी, 2017 से लागू किया जाएगा। आपके संदर्भ के लिए परिपत्र की प्रति अनुलग्नक I के रूप में संलग्न है ।

जुर्माने की गणना के नियम इस प्रकार हैं

1. "ऐसा कोई खाता नहीं" कारण से लौटाए गए लेन-देन
2. सभी बैंकों के लिए 9 अंकों से कम या बराबर लंबाई वाली खाता संख्या
3. भारतीय बैंक के लिए 8 अंकों से कम या बराबर लंबाई वाली खाता संख्या

तदनुसार, उपर्युक्त परिपत्र के अनुपालन में, उपरोक्त सूचना देने वाला एक पत्र सभी बांडधारकों को भेजा जा रहा है (अनुलग्नक II) और परिपत्र को हडको वेबसाइट (अनुलग्नक III) पर अपलोड कर दिया गया है।

धन्यवाद,

भवदीय,

डी. गुहन
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

प्रतिलिपि:

श्री पी.के.मिश्रा दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड डीएसई हाऊस, 3/1, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002	कृपया सूचनार्थ
सुश्री प्रमिला डीसूजा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.(एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा-ईस्ट, मुंबई - 400051	कृपया सूचनार्थ
एक्सिस ट्रस्टी सर्विस लि. द्वितीय तल, एक्सिस हाऊस, सी-2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, बॉम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400025	कृपया सूचनार्थ
एस.बी.आई.कैप ट्रस्टी कम्पनी लि. 8, खेतान भवन, पांचवी मंजिल, 198, जै. टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400020	कृपया सूचनार्थ
पी.एन.बी. इन्वेस्टमेंट सर्विसेस लिमिटेड, 10, राकेशद्वीप बिल्डिंग, युसुफ सराय कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गुलमोहर एन्क्लेव, नई दिल्ली - 110049	कृपया सूचनार्थ
आई.डी.बी.आई. ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर. कमानी मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट, मुंबई - 400001	कृपया सूचनार्थ
श्री नितिन अम्बुरे, उपाध्यक्ष, नेशनल सेक्युरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड चतुर्थ तल, ए विंग ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापटी मार्ग, लोवर पारेल मुंबई - 400013	कृपया सूचनार्थ
श्री सायरस खम्बाटा, उपाध्यक्ष, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लि. फिरोज जीजाभाय टावर्स, 17वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400023	कृपया सूचनार्थ



December 05, 2016

NPCI/2016-17/NACH/Circular No.200

To

All member banks participating in NACH

Penalty for transactions processed with old account numbers

Refer to the 22nd steering committee meeting of NACH held on May 18, 2016 in which the proposal of levying penalty for transactions presented with old account numbers was discussed and accepted by the committee members.

As decided by the committee the penalty of Rs. 5/- per transaction presented with old account number at the account based transactions will be implemented with effect from January 01, 2017.

The rules for calculation of penalty are as follows.

- i. Transactions returned for reason "No such account"
- ii. If account numbers length less than or equal to 9 digits for all banks
- iii, account number length less than 8 digits for Indian bank

Member banks are advised to take note and inform all the concerned entities for updation of the old account number before January 01, 2017.

With warm regards,

(Giridhar G M)
VP & Head - NACH & CTS Operations

ON THE REGISTRAR LETTERHEAD

KPCL/ HUDCO /Bank Mandate/ 2016

DATE : 19/12/2016

Investor Name

Address

Unit : HUDCO Bonds

Sub : Penalty for transactions processed with old account numbers

Ref: FOLIO / DPID/ CLIENT ID :

Dear Sir/ Madam,

This has reference to the cited subject.

We wish to inform you that the National Payments Corporation of India vide Circular No. 200 dated December 5, 2016 has decided that the penalty of Rs. 25/- per transaction presented with old account number of all account based transactions will be implemented with effect from January 01, 2017.

The rules for calculation of penalty is as follows

1. Transactions returned for reason “No Such Account “
2. Account Numbers with length less than or equal to 9 digits for all banks
3. Account number length less than or equal to 8 digits for Indian bank

Accordingly it is requested that physical bondholders/ investors may send self attested Pan copy & Cancelled Cheque for updating the bank details at the above mentioned address .

In case holding is in electronic/ demat form , the bondholders / investors are requested to approach their Depository Participant (IDP) to update the Bank Details for electronic credit of interest / redemption proceeds

It is requested to update the details at the earliest for smooth flow of interest credit in your account for future payments .

As the above referred penalty shall be levied by NPCI w.e.f. 01.01.2017, all concerned are advised to take necessary action for updation of their Bank Accounts on immediate basis .

It may please be noted that the issuer company (i.e. HUDCO) shall not bear any responsibility in the event of the penalty being levied by NPCI owing to

non updation of Bank details by the investors and / or incorrect Bank details of investors.

Note : If the bank mandate is not updated in your account and the payment is rejected by the bank as NACH for the above reason at the time of interest payment/redemption payment , the penalty of Rs .25/- shall be deducted from the interest payments / redemption payment .

Thanking you,

Yours faithfully ,

For KARVY COMPUTERSHARE PRIVATE LIMITED / BEETAL
FINANCIAL & COMPUTER SERVICES/ ALANKIT FINANCIAL
SERVICES

Sd/-

Authorised signatory

(This is a computer generated letter , hence signature not required)

NPCf/201. 1W/NACH/Cit«tar N6.zo0
December 05, '20:16.

To:

All member banks participating in NACH

Penalty for transactions processed with old account numbers

Refer to the 22nd steering committee meeting of NACH held on May 18, 2016 in which the proposal of levying penalty for transactions presented with old account numbers was discussed and accepted by the committee members.

As decided by the committee the penalty of Rs. ISO/- per transaction, presented with old account number of all CECAU/UT based transactions will be implemented with effect from January 01, 2017.

The rules for calculation of penalty are as follows

- i. Transactions returned for reason "no such account"
- ii. Account number length less than or equal to 9 digits for all banks i.e. Account number length less than or equal to 8 digits for Indian bank

Member banks are advised to take note and inform all the concerned of the old account number before January 01, 2017.

With warm regards


(Giridhar G M)
VP & Head - NACH & CTS Operations

eritties for updation



डी. गुहन,

कार्यकारी निदेशक (वित्त)

D. Guhan,

Executive Director (Finance)

Annexure III

हाउसिंग एण्ड अवेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित कम्पनी

कोर-7ए, हडको भवन, भारत पर्यावास केन्द्र,

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003.

दूरभाष : 011-24653711, 011-24648160

विस्तार : 1184 फैक्स : 011-24627386 ईमेल : guhan@hudco.org

Visit us at : www.hudco.org

सीआईएन : U74899DL1970GOI005276

Housing and Urban Development Corporation Limited

(A Government of India Enterprise)

AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY

Core-7A, HUDCO Bhawan, India Habitat Centre,

Lodhi Road, New Delhi - 110003.

Tel.: 011-24653711, 011-24648160

Extn.: 1184 Fax : 011-24627386 Email : guhan@hudco.org

Visit us at : www.hudco.org

CIN : U74899DL1970GOI005276

एफआर/ हडको /बैंक मैसेज/ 2016

दिनांक : 20/12/2016

बांड होल्डर्स

विषय: पुराने खाता नंबर से किए गए लेनदेन पर जुर्माना

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 5 दिसंबर, 2016 के परिपत्र संख्या 200 के तहत निर्णय लिया है कि सभी खाता आधारित लेनदेन में पुरानी खाता संख्या के साथ प्रस्तुत किए गए प्रति लेनदेन 25 रुपये का जुर्माना 01 जनवरी, 2017 से लागू किया जाएगा। परिपत्र की प्रति आपके संदर्भ के लिए संलग्न है।

जुर्माने की गणना के नियम इस प्रकार हैं

1. "ऐसा कोई खाता नहीं" कारण से लौटाए गए लेन-देन
2. सभी बैंकों के लिए 9 अंकों से कम या उसके बराबर लंबाई वाली खाता संख्या
3. भारतीय बैंक के लिए 8 अंकों से कम या उसके बराबर लंबाई वाली खाता संख्या

तदनुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि भौतिक बांडधारक/निवेशक संबंधित रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को बैंक विवरण अपडेट करने के लिए स्व-सत्यापित पैन कॉपी और रद्द चेक भेज सकते हैं।

यदि होल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक/डीमैट फॉर्म में है, तो बांडधारकों/निवेशकों से अनुरोध है कि वे ब्याज/मोचन आय के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट के लिए बैंक विवरण अपडेट करने के लिए अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें।

भविष्य के भुगतानों के लिए आपके खाते में ब्याज क्रेडिट के सुचारु प्रवाह के लिए जल्द से जल्द विवरण अपडेट करने का अनुरोध किया जाता है।

चूंकि उपर्युक्त जुर्माना एनपीसीआई द्वारा 01.01.2017 से लगाया जाएगा, इसलिए सभी संबंधितों को तत्काल आधार पर अपने बैंक खातों को अपडेट करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

कृपया ध्यान दें कि निवेशकों द्वारा बैंक विवरण अपडेट न करने और/या निवेशकों के गलत बैंक विवरण के कारण एनपीसीआई द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने की स्थिति में जारीकर्ता कंपनी (यानी हडको) कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी।

नोट: यदि आपके खाते में बैंक अधिदेश अद्यतन नहीं है और ब्याज भुगतान/मोचन भुगतान के समय बैंक द्वारा उपरोक्त कारण से एनएसीएच के रूप में भुगतान अस्वीकार कर दिया जाता है, तो ब्याज भुगतान/मोचन भुगतान से 25/- रुपये का जुर्माना काट लिया जाएगा।

धन्यवाद,

भवदीय,

डी. गुहन

कार्यकारी निदेशक (वित्त)

NPCI/2016-17/NACH/Circular No.200

December 5, 2016

To,

All member banks participating in NACH

Penalty for transactions processed with old account numbers

Refer to the 22nd steering committee meeting of NACH held on May 18, 2016 in which the proposal of levying penalty for transactions presented with old account numbers was

As decided by the committee the penalty of Rs. 25/- per transaction presented with old account number of all account based transactions will be implemented with effect from January 01, 2017.

Transactions returned for reason "No such account"

- ii. Account numbers with length less than or equal to 9 digits for all banks
- iii. Account number length less than or equal to 8 digits for Indian Bank

Member banks are advised to take note and inform all the concerned entities for updation of the old account number before January 01, 2017.

With warm regards